1.2.24 वकील वादी अनुपस्थित। वादी स्वयं अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवाई गई लेकिन वादी असालतन / वकालतन हाजिर नहीं आने से पत्रावली को वर्तमान स्तर पर अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
दिल्ली

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:03:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner